राजस्थान राज्य बीज एवं जैविक उत्पादन
प्रमाणीकरण संस्था, जयपुर
तृतीय मंजिल, पंत कृषि भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांक :

दिनाक :

कार्यालय आदेश

राजस्थान स्टेट सर्टीफाईड सीड्स प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन, श्रीगंगानगर व अन्य बीज उत्पादन संस्थाओं द्वारा दिये गये ज्ञापन के दृष्टिगत पूर्व आदेश कमांक 1973–2010 दिनांक 21.6.2011 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किये जाते है –

क्र. सं.	बिन्दु संख्या	संशोधन
1	A(बीज उत्पादक संस्था) क्र.सं. 1 का B पार्ट	यदि कोई बीज उत्पादक 10 रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर शपथ पत्र देता है कि उसे परिवार के सभी सदस्यों से उनकी भूमि पर बीज उत्पादन कार्यक्रम आयोजित करने हेतु सहमति प्राप्त है तो परिवार की भूमि पर बीज उत्पादन किये जाने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु किसी भी सदस्य द्वारा शिकायत/आपत्ति किये जाने पर सम्पूर्ण बीज उत्पादन कार्यक्रम निरस्त कर दिया जावेगा।
2	A का क्र.सं. 3	बीज उत्पादक को जहां तक संभव हो एक फसल की एक ही किस्म के एक ही वर्ग का बीज उत्पादन दिया जावे। पानी की उपलब्धता या बुवाई के समय (समय पर बोये जाने वाली या देरी से बाये जाने वाली किस्म) के अनुसार बीज उत्पादक कृषक दो बीज उत्पादक संस्था व दो किस्म/वर्ग के बीज उत्पादन कार्यक्रम ले सकता है, लेकिन ऐसे बीज उत्पादन कार्यक्रम की आनुवांशिक शुद्वता की जाच हेतु प्रमाणीकरण संस्था द्वारा GOT करवाया जा सकता है। अलग अलग संस्थाओं के बीज उत्पादन कार्यक्रम के खेत का प्रमाणीकरण हेतु निरीक्षण एक साथ सभी संस्थाओं के प्रतिनिधियों की उपस्थिति से किया जावेगा।
3	A बिन्दु संख्या 5	न्यूनतम बीज उत्पादन की सीमा 5 एकड़ से घटाकर 3 एकड़ की जाती है।
4	A बिन्दु संख्या 8	प्रमाणीकरण संस्था के निरीक्षण प्रपत्र में कृषक स्वंय/अधिकृत प्रतिनिधि या उपस्थित परिवार के सदस्य द्वारा हस्ताक्षर किये जा सकते है, किन्तु निरीक्षण प्रपत्र पर बीज उत्पादक से उसके संबंध का उल्लेख करना आवश्यक होगा।
5	A बिन्दु संख्या 11	बीज उत्पादक संस्था द्वारा रॉ सीड्स इनटेक करते समय उसकी भौतिक गुणवत्ता का सत्यापन संलग्न प्रारूप में किया जावेगा। इस कार्य हेतु यदि उत्पादक संस्था के प्रतिनिधि आवश्यक समझे तो संस्था के इकाई कार्यालय पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते है।

उक्त संशोधन सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

DMSC 011

निदेशक

संलग्नः– 1

P.T.O

क्रमांक : 10004-40 दिनांक 13-2-12

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1 निजी सचिव, माननीय कृषि मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय कृषि राज्य मंत्री, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव अध्यक्ष एवं प्रमुख शासन सचिव, कृषि, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. प्रबंध निदेशक, राजस्थान स्टेट सीड्स कॉरपोरेशन लि., जयपुर।
5. क्षैत्रीय प्रबंधक, राष्ट्रीय बीज निगम लि., जयपुर।
6. राज्य विपणन प्रबंधक, कृभको, नेहरू सहकार भवन, जयपुर।
7. वरिष्ठ प्रबंधक, तिलम संघ, नेहरू सहकार भवन, जयपुर।
8. निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म सूरतगढ/जेतसर/सरदारगढ।
9. क्षैत्रीय प्रबंधक, एस.एफ.सी.आई., जयपुर।
10. अध्यक्ष राजस्थान स्टेट सर्टीफाईड सीड्स प्रोड्यूसर्स एसोसियेशन, श्रीगंगानगर को उनके पत्रांक – दिनांक 4.1.12 के कम में।
11. समस्त इकाई प्रभारी आर.एस.एस.ओ.पी.सी.ए..... को भेजकर निर्देशित किया जाता है कि इस परिपत्र की प्रतिलिपि आपके कार्य क्षेत्र की समस्त बीज उत्पादक संस्थाओ को हस्तगत करवाकर पावती रसीद आवश्यक रूप से प्राप्त करें एवं उपरोक्त परिपत्र के अनुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।
12. समस्त तकनिकी इकाई प्रभारी, मुख्यालय जयपुर .....।

निदेशक

रॉ बीज प्राप्ति के समय, बीज की भौतिक स्थिति का विवरण:-

बीज उत्पादक संस्था का नाम ..... मौसम.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
क्र.सं.	बीज उत्पादक का नाम व पता,	फसल	किस्म	वर्ग	प्राप्ति दिनांक	नमी प्रतिशत	कोड नं.	अनुमानित उपज, (क्विं.)में	बोरियों की संख्या	कुल प्राप्त बीज की मात्रा (क्विं. में)	विशेष विवरण

(बीज उत्पादक संस्था के अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर)

नोट:- यदि रॉ बीज में खरफतवार,अन्य किस्म के बीज, अन्य बीज, कीटग्रस्तता, चमकहीनता इत्यादि हो तो विशेष विवरण में लिखें।